कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रांकः 4128 /न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2020 दिनाँकः 20.08.2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड–19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31.05.2020 व पत्रांक–1821/2020–सीएक्स–3 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः–

शहरी क्षेत्रः–

(1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।

(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।

(3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट–जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी–

(i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट–जोन घोषित किया जाएगा।

(ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों मे सक्रिय केस पाए जाते है तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण–ताल, बैंक्वेट–हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

(4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट–जोन के सम्बन्ध में

(i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सेंनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

(5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए

(i) यदि एकल–तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।

(ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भदन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।

ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रः–

(1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी ।

(2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द–गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–एल.आई.यू./सी–34/2020 दिनांक 20.08.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तो के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 107 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये है, जिनमें 19–मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, मौ0 साठा नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर, टैगोर वाली गली कृष्णा नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, एच0ब्लाक यमुनापुरम बुलन्दशहर, मौ0 गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 इन्द्रलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 विष्णुपुरम, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ0 शान्ती निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पुलिस लाईन रोड, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, नजीमपुरा भूड़, बुलन्दशहर, आवास विकास प्रथम, बुलन्दशहर, मौ0 शास्त्री नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 ज्ञानलोक कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 राजनगर चॉदपुर रोड नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0 देवीपुरा–I, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ0शिवपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सुशीला बिहार–2 नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, के0वी0रोड नियर फीमेल हॉस्पिटल नगरीय

क्षेत्र बुलन्दशहर बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 88 हॉटस्पाट– नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, कायस्थवाड़ा, कस्बा व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 गांधी नगर, नगर पालिका क्षेत्र गुलावठी, ग्राम शिवाली, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम चॉदपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 अहीरपाडा, नगरीय क्षेत्र, खुर्जा, ग्राम कुदैना, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 कानूनगोयान, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, मौ0 नई बस्ती, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गोरा मौहल्ला,ग्राम बाहपुर वि0ख0 बी0बी0नगर व तहसील स्याना, चित्रकूट कालौनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रहमापुर, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम नयागॉव वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम जुगसाना कंला वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, गली नं0–1, पहासू अड्डा, जैना गैस्ट हाउस के पीछे, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, चावंड मौहल्ला, कस्बा वि0ख0 व तहसील स्याना, शारदा मैरिज होम के सामने, जंक्शन रोड खुर्जा, आवास विकास कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, अलीगढ चुंगी, निकट नव दुर्गा शक्ति मन्दिर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, गॉधी चौक, कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम माधवगढ, वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम खिजराबाद, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम एत्मादसराय वि0ख0 गुलावठी तहसील सदर, ग्राम कुरली वि0ख0 गुलावठी तहसील सदर, ग्राम सनौटा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पाली बेगपुर वि0ख0 लाखवटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सराय छबीला, वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, मौ0अहार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ0दिल्ली गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम सलामतपुर उर्फ नेतानगर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0लोधगान कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ज्ञान लोक कालोनी(भारत गैस गोदाम) नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सैदपुर वि0ख0 बी0बी0नगर तहसील स्याना, ग्राम सरगॉव वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0राधा कृष्ण नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम झमका वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम रतनपुर वि0ख0 जहॉगीराबाद, मौ0गोपालपुरी नगर पंचायत नरौरा तहसील डिबाई, ग्राम बोहिच, वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0आजमतारा कस्बा बी0बी0नगर तहसील स्याना, मौ0 खाकरोवान कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ0गोसाईयान, कस्बा जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम कोटला, वि0ख0 दानपुर, तहसील डिबाई, मौ0 सत्यपुरी नगरीय क्षेत्र नरौरा, मौ0 तेलियान निकट ईदगाह, कस्बा ककोड़, तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बिरौली, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम हजरतपुर, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम अहरोली, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, राम सिंह का बाड़ा, मदार दरवाजा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, वैशाली कालोनी नगर पालिका परिषद खुर्जा, ग्राम किला मेवई वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम जैनपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आढा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बरौली वासदेवपुर, वि0ख0 व तहसील स्याना, ग्राम शाहजादपुर वि0ख0 लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम दौगवा वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम श्यौपुरी वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, मौ0होली दरवाजा नगरीय क्षेत्र छतारी, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरपुर वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0सराय कुन्दन नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम पौण्डरी वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0कायस्थवाडा नगरीय क्षेत्र जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम परली वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम बरौली वि0ख0 व तहसील शिकारपुर, मौ0चौधरीवाडा नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, सैनी धर्मशाला वाली गली, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम ईस्माईलपुर वुटैना वि0ख0 व तहसील खुर्जा, कसेर कलॉ वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम बिलौनारूप, वि0ख0 व तहसील डिबाई, डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ0 जोगीपाड़ा, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम दरावर, वि0ख0 व तहसील अनूपशहर, ग्राम मालागढ वि0ख0 अगौता तहसील बुलन्दशहर, एन0ए0पी0पी0 टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, मौ0काजीखेल नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम गंगागढ वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम ताजपुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भमरा वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, काकर की मढैया(बराल), वि0ख0 गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला सोही वि0ख0पहासू तहसील शिकारपुर, मौ0शिवपुरी नगरीय क्षेत्र पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम भौरा वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0चौक गली नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम गोधना वि0ख0 जहॉगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम जीवत वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मिर्जापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम हजरतपुर पूठरी, वि0ख0 अर्निया तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 20.08.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या–1888 है, 841 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 39 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहॉ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संकमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुॅचेगें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संकमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-अगस्त 20, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तो के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

20/8/2020
प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर